



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा पारित)

Mahanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication

(Setup by Act. No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र. 952/भ.शा./2021/

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2021

सीमित निविदा-आमंत्रण

प्रति,

वेबसाइट वेबसाइट

विषय:- 1500 नग Cobra Special ,N3100, Veer mak, Office file (भण्डार शाखा में रखे नमूने के अनुसार)क्रय करने विषयक।


विश्वविद्यालय द्वारा 1500 नग Cobra Special ,N3100, Veer mak, Office file (आवश्यकता पड़ने पर फाईल के नमूने का अवलोकन भण्डार शाखा में आकर किया जा सकता है),क्रय करने के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं।

सामग्री प्रदाय हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी निविदा "कुलसचिव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल" के नाम से दिनांक 15.7.2021 को अपराह्न 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्र वाहक के माध्यम से " सहायक कुलसचिव (प्र.शा) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,बी-38 विकास भवन जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल,-462011 के पते पर भेज सकते हैं। क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

| स.क्रं. | विवरण | मत्रा |
|---------|---|---------|
| 1. | Cobra Special ,N3100, Veer mak, Office file | 1500 नग |

नियम एवं शर्तें /-

1. निर्धारित समयावधि के पश्चात फर्मों से प्राप्त सीमित निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. सामग्री का प्रदाय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल में स्वयं के व्यय पर करना होगा।
3. सामग्री क्रय की मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है।
4. फर्म/संस्था/प्रोप्रायटर का जी.एस.टी. नम्बर तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
5. जी.एस.टी. राशि को उल्लेख कोटेशन में पृथक से करें।
6. किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल को होगा।
7. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।


(डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव